



Neutral Citation No.- 2026:AHC-LKO:41417-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5321 वर्ष 2026

पुष्पराज यादव उर्फ अमन याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य
और अन्य प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : निशा श्रीवास्तव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. अधिवक्ता श्री सी०एल० यादव ने विपक्षी संख्या 4 की ओर से अपना वकालतनामा और पूरक हलफनामा दाखिल किया। जिसे अभिलेख में लिया गया।

2. सुना।

3. यह याचिका निम्नलिखित मुख्य राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"(i) मुकदमा अपराध संख्या 0161/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 110

भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धाराएं 323, 308 भारतीय दण्ड संहिता),

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[संशोधित धाराएं 115(2), 352, 105 भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धाराएं 323, 504, 304 भारतीय दण्ड संहिता)], थाना- राम सनेही घाट, जिला - बाराबंकी में विपक्षी संख्या 4 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी दिनांकित 8.04.2026 जैसा कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में दिया गया है, जहां तक यह वर्तमान याचिकाकर्ता से संबंधित है, को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ii. विपक्षीगणों को याचिकाकर्ता को मुकदमा अपराध संख्या 0161/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 110 भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धाराएं 323, 308 भारतीय दण्ड संहिता), [संशोधित धाराएं 115(2), 352, 105 भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धाराएं 323, 504, 304 भारतीय दण्ड संहिता)], थाना- राम सनेही घाट, जिला - बाराबंकी में विपक्षी संख्या 4 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी दिनांकित 8.04.2026 जैसा कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में दिया गया है, जहां तक यह वर्तमान याचिकाकर्ता से संबंधित है, में गिरफ्तार न करने का निर्देश देने के लिए परमाधिकार प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।”

4. मामले पर विस्तार से बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में "बीएनएसएस") की धारा 482 सहित कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. संदर्भित धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"482. गिरफ्तारी की आशंका रखने वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश।-

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के तहत निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है; और वह न्यायालय, यदि उचित समझे, तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

(2) जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उप-धारा (1) के अधीन कोई निर्देश देता है, तो वह विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निर्देशों में ऐसी शर्तें शामिल कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) यह शर्त कि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) यह शर्त कि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विवश हो;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यह शर्त कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उप-धारा (3) के अधीन लगाई जा सकती हैं, मानो उस धारा के अधीन जमानत दी गई हो।

(3) यदि ऐसे व्यक्ति को इसके बाद किसी थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा बिना वारंट के ऐसे आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है, और वह गिरफ्तारी के समय या ऐसे अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी भी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा; और यदि कोई दंडाधिकारी ऐसे अपराध का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के तहत न्यायालय के निर्देशानुसार जमानती वारंट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 और धारा 70 की उपधारा (2) के तहत अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित किसी मामले पर लागू नहीं होगी।

6. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उचित आवेदन प्रस्तुत करके सक्षम न्यायालय में जाता है, तो उस पर कानून के अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

18 जून, 2026

अरविंद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।